

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019

[यथा संशोधित-2024 (तृतीय संशोधन)]



उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश

1. पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3 प्रतिशत है। इस राज्य के चार पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं जो तराई, गंगा के मैदान, भाबर और विंध्य क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। यह देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जिसमें 18 मंडल और 75 जिले हैं। इस राज्य में छः स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह हैं—भाबर मृदा, तराई मृदा, विंध्य मृदा, बुंदेलखंड मृदा, अरावली मृदा और जलोढ़ मृदा हैं। वर्षा, भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश के नौ विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इस राज्य की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय और खेती के अनुकूल है। उत्तर प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है और लगभग 66% आबादी खेती और इसकी सहायक गतिविधियों से आजीविका कमाती है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के जल से राज्य में गेहूँ, मक्का, धान, आलू, गन्ना, दालें, तिलहन और कई फल तथा सब्जियों की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश पूरे देश का 21% खाद्यान्न, 10.8% फल और 15.4% सब्जियाँ उगाता है।

कृषि का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में 25.7% (वर्तमान लागत पर 2017–18 में और 22.7% स्थिर कीमत में) का अंशदान है। इस राज्य में 177.21 लाख हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र है जिसके विरुद्ध शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 166 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 86.7 प्रतिशत सिंचित भूमि है। प्रदेश का खाद्यान्न, गन्ना, आलू, दूध, मांस तथा बागवानी में देश में पहला स्थान है।

किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि कृषि उत्पाद की बेहतर माँग न केवल राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न की जाए बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्पन्न किया जाए और निर्यात बढ़ाकर बेहतर कीमत प्राप्त की जाए। किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात पर जोर देना जरूरी है। इसके लिए राज्य में एक स्थायी कृषि निर्यात नीति के गठन की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश का 7.35% योगदान है। वर्तमान में वर्ष 2018–19 में निर्यात की गई मात्रा की दृष्टि से भारत से कुल कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश का मांस में 50.34%, गेहूँ में 37.88%, प्राकृतिक शहद में 26.59%, ताजे आम में 4.12%, अन्य ताजे फलों में 15.84%, दुग्ध उत्पादों में 13.31%, गैर-बासमती चावल में 4.02%, बासमती चावल में 3.21%, पुष्प कृषि उत्पाद में 0.57%, प्रसंस्कृत फलों, उनके जूस और मेवों आदि में 0.51% का योगदान रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में लगभग 30+ बिलियन यू0एस0 डॉलर के कृषि निर्यात से दोगुना करते हुये वर्ष 2022 में लगभग 60+ बिलियन यू0एस0 डॉलर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति प्रतिपादित की गई है। यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक राज्य द्वारा इस उद्देश्य को हासिल करने में मदद करने के लिए अपनी कृषि निर्यात नीति प्रतिपादित की जाएगी। इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति राष्ट्रीय लक्ष्य के सामंजस्य में निरूपित की जा रही है।

2. नीति का दृष्टिक्षेत्र (विजन)

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का विजन

“कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नये ढांचे की व्यवस्था करना, कृषि फसलों एवं उत्पादों के निर्यात की क्षमता का सदुपयोग करना तथा किसानों एवं अन्य हितधारकों की आय पर्याप्त रूप से बढ़ाना”

3. नीति का उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक 2524 मिलियन यू0एस0 डॉलर अर्थात रू0 17,591 करोड के वर्तमान मूल्य से दोगुना करना।
- पर्यावरण को रक्षित करने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम करना और अप्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात से मूल्य वर्धित उत्पादों की ओर गमन।
- निर्यात के लिए उन संभावित कृषि फसलों और उत्पादों की पहचान करना और बढ़ावा देना जो देशी एवं जैविक हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आंकलन करने और इसके प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थागत कार्यप्रणाली बनाना।
- निर्यात योग्य कृषि उत्पादों और वैश्विक अवसरों से संबंधित जानकारी को किसानों तक पहुँचाने के लिए ढांचा विकसित करना।
- कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य में मुख्य विभागों के बीच सहक्रियाशील अवसरो पर ध्यान देना।
- बाजारों का विस्तार करते हुए किसानों की आमदनी को बढ़ाना जिससे उन्हें बेहतर कीमत मिल सके।

4. कार्यान्वयन के लिए रणनीति

- 4.1 संस्थागत कार्यप्रणाली, विभागों के बीच ज्यादा तारतम्य को मजबूत करना और मौजूदा संस्थागत ढांचे का प्रभावी उपयोग करना।
- 4.2 राज्य से कृषि निर्यात की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाना और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना और सभी स्तर पर आवश्यक मानक बनाए रखना।
- 4.3 हितधारकों के लिए संपर्क बिंदु के रूप में राज्य स्तरीय कृषि निर्यात सुविधा केन्द्र स्थापित करना।
- 4.4 कृषि फसलों और उत्पादों के निर्यातकों के लिए व्यवसाय को सुगम बनाने के तरीकों को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना।
- 4.5 आधुनिक मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेशों को प्रोत्साहित करना जो वैश्विक बाजार से अच्छी तरह से एकीकृत हों।
- 4.6 अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, रोग मुक्त क्षेत्रों को विकसित करना और ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए लंबी दूरी के समुद्री प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना।
- 4.7 कार्मिकों और हितधारकों की क्षमता का विकास करना।
- 4.8 नवोन्मेष और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाएं स्थापित करना।
- 4.9 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों से जोड़ने के लिए बढ़ावा देने के कार्यक्रम आयोजित करना।
- 4.10 ज्यादा निवेश के लिए व्यवसाय आकर्षित करना और राज्य के ब्रांड का प्रचार करने पर जोर देना।
- 4.11 जिले या जिलों के समूह में क्षेत्रों के क्लस्टर बनाते हुए क्लस्टर पद्धति के माध्यम से राज्य से कृषि निर्यात को बढ़ाना, ऐसे क्षेत्रों के क्लस्टर जिनमें निर्यात योग्य कृषि उत्पाद पारंपरिक रूप से उत्पादित या प्रसंस्कृत किया जा रहा है या जो इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है।
- 4.12 राष्ट्रीय और राज्य स्तर की संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना।

5. नीति का कार्यान्वयन

5.1 यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

5.2 इस नीति में किसी भी संशोधन की स्थिति में, यदि प्रोत्साहन राशि का कोई पैकेज जो राज्य सरकार की ओर से किसी किसान/ एफपीओ/ एफपीसी/ निर्यातक/ इकाई को पहले से ही प्रतिबद्ध है, वह वापस नहीं लिया जाएगा और किसान/ एफपीओ/ एफपीसी/ निर्यातक/ इकाई उस लाभ के लिए हकदार रहेगी।

6. कार्यान्वयन ढाँचा

6.1 संस्थागत कार्यप्रणाली को मजबूत करना:

6.1.1 इस नीति को कृषि एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े सम्बंधित सभी विभाग जैसे कृषि विभाग, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग जिसमें राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है, पशुपालन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मत्स्य, डेयरी एवं दुग्ध विकास विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग एवं उन अन्य विभागों में जिन्हें इस नीति के प्रस्तर 6.1.2 द्वारा गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति निर्देशित कर सकेगी, द्वारा लागू की जायेगी और यह विभाग इस नीति के अंतर्गत सम्बंधित विभाग कहे जायेंगे।

6.1.2 नीति के कार्यान्वयन को मजबूत और निगरानी करने के लिए एक "राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति" बनाई जाएगी। राज्य स्तरीय निगरानी समिति निम्नवत होगी:

क्रम सं.	समिति का पद	आधिकारिक पदनाम
1	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2	उपाध्यक्ष	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
क. राज्य सरकार के कृषि निर्यात संबंधी विभाग/संस्थाएँ		
1	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
2	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
3	सदस्य	प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन
4	सदस्य	प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश शासन
5	सदस्य	प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन

6	सदस्य	प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तर प्रदेश शासन
7	सदस्य	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश शासन
8	सदस्य	प्रमुख सचिव, मत्स्य पालन, उत्तर प्रदेश शासन
9	सदस्य	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन
10	सदस्य	प्रमुख सचिव, डेयरी एवं दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
11	सदस्य	निर्यात आयुक्त, निर्यात संवर्धन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश सरकार
12	सदस्य	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार
13	सदस्य	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसन्धान परिषद्, (उपकार), उत्तर प्रदेश
14	सदस्य	प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ,
15	सदस्य	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् , उत्तर प्रदेश
16	सदस्य	निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था लखनऊ
17	सदस्य सचिव	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
ख. केंद्र सरकार के निर्यात संबंधी विभाग/संस्थाएँ		
1	सदस्य	महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसका प्रतिनिधि
2	सदस्य	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, भारत सरकार
3	सदस्य	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
4	सदस्य	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई०सी०ए०आर०) नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
5	सदस्य	निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई०आई०सी०) के क्षेत्रीय अधिकारी
6	सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी/प्रतिनिधि, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा
7	सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी/प्रतिनिधि, पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवाएँ, नई दिल्ली

8	सदस्य	भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ0आई0ई0ओ0), नई दिल्ली के प्रतिनिधि
ग. अन्य सदस्य		
1	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील किसान एवं /अथवा एफपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
2	सदस्य	सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित दो (02) प्रख्यात निर्यातक
3	सदस्य	सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित औद्योगिक चौम्बर्स के दो (02) प्रतिनिधि

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति इस नीति के उद्देश्य के लिए शक्ति प्राप्त समिति के रूप में कार्य करेगी। राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति समय-समय पर राज्य स्तर पर कृषि निर्यात की स्थिति की समीक्षा करेगी एवं राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं अन्य हितधारकों के बीच समन्वयन के द्वारा निर्यात संवर्धन उपाय करेगी। यह समिति क्लस्टर की सूची में सुधार, विस्तार, एवं गठन को भी अंतिम रूप प्रदान करेगी। यह मंडलीय और जिला स्तरीय समितियों को कार्यात्मक मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। इस नीति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति के अध्यक्ष किसी भी विभाग, संस्था इत्यादि से सदस्य को नामित करने के लिए अधिकृत होंगे।

6.1.3 कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। कृषि निर्यात संवर्धन की अपने दायित्वों और गतिविधियों का पर्याप्त निर्वहन करने के लिए सरकार द्वारा नोडल एजेंसी को न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष बजट आवंटित किया जाएगा। नोडल एजेंसी इस नीति के कार्यान्वयन हेतु राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश एवं मंडी समिति का सहयोग प्राप्त करेगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने और निर्यात संबंधित मुद्दों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा।

नोडल एजेंसी निर्यातकों/हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों का निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संपर्क स्थापित करेगी तथा कार्यक्रम और बैठकें आयोजित करेगी, जानकारी प्रसारित करेगी, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि आयोजित करेगी।

नोडल एजेंसी विभिन्न विभागों और संस्थाओं के लिए संचालन संबंधी एवं उत्पाद विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ कार्य करेगी।

इस नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी कृषि निर्यात के क्षेत्र के विशेषज्ञों को जोड़ते हुए तथा सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए और नोडल एजेंसी, मंडल और जिला स्तरीय इकाइयों के लिए इस नीति के संबंध में संचालनात्मक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करते हुए संस्थागत ढाँचे को मजबूत करेगी।

6.1.4 मंडलायुक्त के स्तर पर उनकी निगरानी में एक मंडल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति गठित की जाएगी, जो निम्नवत होगी:-

क्रम सं.	समिति के पद नाम	आधिकारिक पदनाम
1	अध्यक्ष	मंडलायुक्त
2	सदस्य	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य
3	सदस्य	वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा के प्रतिनिधि सदस्य
4	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि
5	सदस्य	संयुक्त कृषि निदेशक/ उप कृषि निदेशक
6	सदस्य	संयुक्त आयुक्त, उद्योग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
7	सदस्य	उप निदेशक, उद्यान
8	सदस्य	प्रधानाचार्य, राज्य खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
9	सदस्य	अपर निदेशक, पशुपालन
10	सदस्य	सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश
11	सदस्य	उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मंडी परिषद
12	सदस्य	उप निदेशक, मत्स्य
13	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित महाप्रबंधक, चीनी मिल

14	सदस्य	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि
15	सदस्य	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के प्रतिनिधि (एस0एफ0ए0सी0)
16	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित एन0ए0बी0एल0 (राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का प्रतिनिधि
17	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित प्रख्यात गैर सरकारी संस्थान (एन0जी0ओ0) के प्रतिनिधि
18	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा प्रगतिशील किसान एवं / अथवा एफपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
19	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित मंडल के दो (02) प्रख्यात निर्यातक
20	सदस्य सचिव	सहायक कृषि विपणन अधिकारी / सहायक विपणन अधिकारी, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश

नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

मंडल स्तरीय निर्यात निगरानी समिति वर्ष में न्यूनतम दो बार मंडल स्तर पर कृषि निर्यात की स्थिति की समीक्षा करेगी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने का उपाय करेगी। यह समिति निर्यात योग्य कृषि उत्पाद और उत्पादन के लिए गठित क्लस्टरों के विकास और कामकाज की समीक्षा करेगी।

6.1.5 जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **क्लस्टर सुविधा इकाई** स्थापित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

क्रम सं.	समिति के पद नाम	आधिकारिक पदनाम
1	अध्यक्ष	जिलाधिकारी
2	सदस्य	मुख्य विकास अधिकारी
3	सदस्य	उप कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी
4	सदस्य	जिला उद्यान अधिकारी
5	सदस्य	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन
6	सदस्य	उपायुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
7	सदस्य	अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश

8	सदस्य	सहायक निदेशक, मत्स्य
9	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित महाप्रबंधक, चीनी मिल
10	सदस्य	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/ लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस0एफ0ए0सी0) के प्रतिनिधि
11	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित प्रख्यात गैर सरकारी संस्थान (एन0जी0ओ0) के प्रतिनिधि
12	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित एन0ए0बी0एल0 (राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का प्रतिनिधि
13	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा प्रगतिशील किसान एवं / अथवा एफपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
14	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित जनपद का एक (01) निर्यातक
15	सदस्य सचिव	जिला कृषि अधिकारी/ ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, कृषि विपणन विभाग

नामित सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

क्लस्टर सुविधा इकाई का प्रयास होगा कि:-

- क) प्रत्येक संबंधित विभाग उपयुक्तता और निर्यात प्रोत्साहन के लक्ष्यों के अनुसार क्लस्टर में किसानों / एफ0पी0ओ0 / एफ0पी0सी0 की संख्या और क्षेत्र का निर्धारण करे।
- ख) क्लस्टर विकास कार्य की निगरानी करना।
- ग) निर्यात योग्य मदों के क्लस्टर खेती के अंतर्गत क्षेत्र वृद्धि को प्रोत्साहित करना और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना।
- घ) प्रत्येक क्लस्टर में कई एजेंसियों जैसे लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नाबार्ड आदि के अंतर्गत एफपीओ/ एफपीसी के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना।
- ङ) विभिन्न कृषि फसलों और उत्पादों के लिए मुख्य विभागों (कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी एवं दुग्ध विकास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मत्स्य, कृषि विपणन, मंडी समिति आदि) और हितधारकों (निर्यातकों, संभावित निर्यातकों, किसान की उत्पादक कंपनियाँ (एफपीसी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान एवं उत्पादक सहकारी समितियाँ, किसान आदि) के बीच क्लस्टर स्तरीय समन्वयन स्थापित करना।

- च) एपीडा ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के तहत किसानों के पंजीकरण को सुगम बनाना और प्रोत्साहित करना। निर्यातकों को उत्पाद की सीधी खरीद के लिए पंजीकृत एफपीओ/ एफपीसी/ किसानों से जोड़ना।
- छ) प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण इकाईयों और निर्यातकों के साथ उनके संपर्क को प्रोत्साहित करना तथा सुगम बनाना।
- ज) क्लस्टर को बनाने में संगठनों/संस्थानों/ गैर सरकारी संगठनों (एनओजीओ) एवं अन्य हितधारकों की मदद ली जायेगी।
- झ) क्षेत्र की उपयुक्तता के आधार पर चिन्हित कृषि उत्पाद और उत्पादन के नये क्लस्टर के निर्माण हेतु संस्तुति करेगी, जिसके सम्बन्ध में राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति क्लस्टर के निर्माण को तय करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेगी।

नोट-

- 1- फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीसी) का अर्थ है किसान उत्पादक सदस्यों की एक कंपनी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा IXA में परिभाषित है तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार से यथा संशोधित एवं लागू निगमित है।
- 2- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का अर्थ है किसानों का एक संघ, जिसे किसी भी नाम/रूप में कहा जाता है/मौजूद है तथा जो तत्समय लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत है, जो किसानों को सामूहिक संगठित कर उनमें उत्पादन और विपणन का लाभ उठाने की क्षमता का निर्माण करता है।

6.1.6 कृषि उत्पाद और उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय संबंधित नीतियों के लाभों को जोड़ने के प्रयास किये जाएँगे जिसमें कृषि नीति 2013, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, उत्तर प्रदेश वेयरहाउससिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018 और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 शामिल है।

6.2 बुनियादी ढांचे को सक्षम करना – नए का विकास और मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन

अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विदेशी बाजारों को जोड़ने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी सुसज्जित उपकरणों सहित संग्रह केन्द्र, पैक हाउस, वेयरहाउस, पकाने वाले चैंबर, लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), एयरपोर्ट पर कार्गो केन्द्रों के द्वारा राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर कृषि निर्यात के सहायतार्थ पर्याप्त अवसंरचना स्थापित करना प्राथमिक आवश्यकता है। राज्य और मंडल स्तर पर आवश्यकतानुसार एनओबीओएल मान्यता प्राप्त

कीटनाशक अवशेष, भारी धातु और जैविक संदूषण परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने में मदद किया जाना लक्षित है।

सार्वजनिक, निजी, एवं निजी व सार्वजनिक साझेदारी (पी0पी0पी0) क्षेत्र में पैक हाउस/ संग्रह केंद्र/ पकाने का कक्ष/ रीफर वैन-नॉन रीफर वैन/ गोदाम/ शीतगृह की सुविधाओं को विकसित करना जिससे नष्ट होने वाले पदार्थों को विभिन्न स्तरों पर जैसे पैक हाउस, आईसीडी व एयरपोर्ट पर कार्गो केन्द्रों पर भी रक्षित किया जा सके। शीघ्र नाशवान पदार्थों के परिवहन सुविधाओं यथा रीफर वैन/रीफर ट्रको को उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018 और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहित किया जायेगा।

ढाँचागत सुविधाओं की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सभी सम्बंधित विभागों द्वारा व्यापक विश्लेषण किया जाएगा एवं कमियों (need gap) को चिन्हित किया जायेगा, जो उनके संबंधित क्षेत्र में निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक होगा। राज्य में संबंधित विभागों द्वारा अपने लक्ष्य निर्धारित किये जाएँगे और उन्हें हासिल करने की रणनीति बनाई जाएगी। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर प्रभावी मूल्य श्रृंखला आयातकर्ता देशों के कठोर गुणवत्ता और स्वच्छता एवं पादपस्वच्छता मानकों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से जल्दी नष्ट होने योग्य उत्पादों के लिए विकसित की जाएगी।

6.2.1¹ उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति उत्पादन और उत्पादों के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण पर केंद्रित है और क्लस्टर की पहचान उत्पादन, निर्यात में योगदान, निर्यातक के संचालन, प्रचालन की मापनीयता, निर्यात बाजारों के आकार और निर्यात में वृद्धि की क्षमता पर आधारित होगी। निर्यातों को बढ़ाने के लिए पहचान किए गए क्लस्टर में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

इस नीति के अन्तर्गत निर्यात क्लस्टर के लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि विकास खण्ड की सीमान्तर्गत होनी चाहिये, जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्लस्टर सुविधा इकाई द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

यह नीति विशेष रूप से अनुलग्नक-1 (यथा संशोधित) में वर्णित जिलों में फसलों और उत्पादों की कृषि निर्यात क्षमता की प्राप्ति के उद्देश्य से है। क्लस्टर की सूची का विस्तार और संशोधन जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई की सिफारिश पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि

1. उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (प्रथम संशोधन), 2021 अधिसूचना दिनांक 27.10.2021 द्वारा प्रतिस्थापित।

विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उ०प्र० एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे।

6.2.2 क्लस्टर्स के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था¹

नोडल एजेंसी क्लस्टर्स में उत्पादित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु स्थापित की गयी नई प्रसंस्करण इकाई/पैक हाउस/शीत गृह/राइपेनिंग चैम्बर आदि को निर्यात की स्थिति में निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह प्रोत्साहन निर्यात के टर्न ओवर के 10 प्रतिशत अथवा रूपया 25 लाख, जो भी कम हो, निर्यात प्रारम्भ करने के वर्ष से 05 वर्षों तक दिया जायेगा। यह केवल नई इकाइयों, जो क्लस्टर्स के पास स्थापित की जायेंगी, को ही देय होगा। इसके लिए उक्त इकाई को क्रय किए गए कृषि उत्पाद को मौलिक अथवा प्रसंस्कृत रूप में न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्यात करना होगा। यह प्रोत्साहन धनराशि निर्यात दायित्व सिद्ध होने के उपरान्त दी जाएगी। इस संबंध में प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति जिसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उ०प्र० एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे, से कराते हुए भुगतान नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

6.2.3 निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :-

6.2.3.1

निर्यात उन्मुख क्लस्टर्स की सुविधा और गठन के लिए और ऐसे क्लस्टर्स में आवश्यक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए और इन क्लस्टर्स से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन इस प्रकार दिया जाएगा:

1. उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (प्रथम संशोधन), 2021 अधिसूचना दिनांक 27.10.2021 द्वारा प्रतिस्थापित।

वर्ग	न्यूनतम पात्रता आवश्यकताएँ	प्रोत्साहन
कृषक क्लस्टर	क्लस्टर क्षेत्र 50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 10 लाख।
	100 हेक्टेयर से अधिक एवं 150 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 16 लाख।
	150 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 22 लाख।
	200 हेक्टेयर से अधिक एवं 250 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 28 लाख।
	250 हेक्टेयर से अधिक एवं 300 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 34 लाख।
	300 हेक्टेयर से अधिक एवं 350 हेक्टेयर तक	क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर रुपये 40 लाख।
	उपर्युक्तानुसार क्लस्टर का क्षेत्रफल बढ़ने पर धनराशि में रुपये 6 लाख की बढ़ोत्तरी अनुमन्य होगी।	
	इसमें से प्रथम वर्ष में 40 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 15 प्रतिशत प्रति वर्ष आगामी 04 वर्ष तक निर्यात होने पर।	

अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु क्लस्टर द्वारा उत्पादित कृषि जिन्स का स्थानीय उत्पादकता के आधार पर (कृषि विभाग/उद्यान विभाग/सम्बन्धित विभाग के उत्पादन आँकड़ों के अनुसार) कुल उत्पादन का न्यूनतम 30 प्रतिशत मात्रा में निर्यात होने पर दायित्व पूर्ण माना जायेगा तथा आगामी 04 वर्षों में निर्यात को बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत तक करने का प्रयास किया जाएगा।

क्लस्टर का भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई के द्वारा किया जायेगा। क्लस्टर कम्पनी अधिनियम, 1956 अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1965 के अन्तर्गत एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 अथवा सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत कृषक समूह (Farmers' Aggregate) के रूप में गठित किये जायेंगे तथा प्रोत्साहन धनराशि उक्त संस्था को ही निर्यात एवं अच्छी कृषि पद्धति के सम्बन्ध में प्रसार हेतु दिया जायेगा।

6.2.3.2 कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन अनुदान¹:

उत्तर प्रदेश समुद्री तट से बहुत दूर स्थित है, जिससे निर्यातकों को समुद्री तट वाले राज्यों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई आती है। वायु मार्ग से निर्यात करने पर बहुत खर्च आता है। उक्त के दृष्टिगत निर्यातकों को परिवहन अनुदान (वायु मार्ग / रेल मार्ग / सडक मार्ग / जल मार्ग) दिया जायेगा।

कृषि उत्पादों एवं इनसे प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर परिवहन अनुदान की प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति जिसके सदस्य सचिव निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उ०प्र० एवं अन्य सदस्य शासन द्वारा नामित अधिकारी होंगे, से कराते हुए भुगतान नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

कृषि उत्पादों एवं इनसे प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर परिवहन अनुदान (वायु मार्ग / रेल मार्ग / सडक मार्ग / जल मार्ग) की अधिकतम सीमा वास्तविक भुगतान किये गये भाड़े का 25 प्रतिशत होगी तथा परिवहन अनुदान मद में प्रतिवर्ष अधिकतम रू० 20 लाख (रूपया बीस लाख) प्रति निर्यातक/फर्म को देय होगा।

उक्त परिवहन अनुदान मांस एवं चीनी के निर्यात पर देय नहीं होगा।

यह परिवहन अनुदान निर्यातक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जायेगा कि उनके द्वारा अन्य किसी स्रोत/विभाग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया गया।

6.2.3.3 कृषि निर्यात (उत्पाद/ उत्पादन) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट/गैर विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस से छूट निम्नवत दी जायेगी²:

1. किसानों, कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०/एफ०पी०सी०) अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने पर मंडी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस की शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।

1. उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (प्रथम संशोधन), 2021 अधिसूचना दिनांक 27.10.2021 द्वारा प्रतिस्थापित एवं उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (तृतीय संशोधन), 2024 अधिसूचना दिनांक 01.07.2024 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (प्रथम संशोधन), 2021 अधिसूचना दिनांक 27.10.2021 द्वारा प्रतिस्थापित एवं उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (द्वितीय संशोधन), 2022 अधिसूचना दिनांक 10.11.2022 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित।

2. आढ़तियों के माध्यम से खरीद करने पर मंडी शुल्क व प्रयोक्ता प्रभार की शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी परन्तु निर्धारित विकास सेस देय होगा।
3. अन्य प्रदेशों से मण्डी शुल्क व अन्य विहित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् लाये गये बासमती धान को उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण कर निर्मित चावल के निर्यात करने पर कुल निर्यातित बासमती चावल के समतुल्य प्रयुक्त बासमती धान पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 में उपलब्ध प्राविधानों के अनुरूप निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरांत निर्यात पर मंडी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस की छूट मिलेगी, जो सामान्यतः 05 वर्षों तक देय है। निर्यात दायित्व सिद्ध करने की प्रक्रिया का निर्धारण समय-समय पर शासन द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त संशोधित प्राविधान वर्तमान में प्रचलित “उ0प्र0 चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017-22)” तथा इस सम्बन्ध में निर्गत विभिन्न शासनादेशों पर अधिसूचना निर्गत होने के तिथि से अधिक्रमित (Supersede) होंगे।

6.2.3.4 कृषि निर्यात / पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोत्साहन:

रोजगार सृजन करने और बढ़ावा देने के लिए एवं राज्य में निर्यात और फसल प्रबंधन के क्षेत्र में कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि निर्यात और पोस्टहार्वेस्ट प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी में डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों/ सरकारी संस्थानों में वार्षिक फीस की 50 प्रतिशत या रुपया 0.50 लाख प्रति छात्र की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा। 15 महीने से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु फीस के लिए रुपया 1.0 लाख दिया जाएगा।

इस प्रकार के उच्च शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाले राजकीय संस्थानों को एक मुश्त रुपया 50 लाख अनुदान दिया जायेगा।

6.2.4 बाजार परिज्ञान एवं अनुसंधान

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बाजार काफी हद तक आपूर्ति आधारित है, जबकि वैश्विक रुझान दिन प्रतिदिन बदल रहा है। यह नीति मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में लाभप्रदता बढ़ाने के लिए मांग आधारित कृषि उत्पादन की ओर एक बदलाव का इरादा रखती है। नोडल एजेंसी द्वारा राज्य में निर्यात उन्मुख बाजार परिज्ञान प्रणाली को सुविधाजनक बनाने, विकसित करने और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से हितधारकों के बीच प्रचार सुनिश्चित करने के

लिए भारत सरकार से सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में विशेषज्ञों की आवश्यक सेवाओं को लिया जा सकेगा।

6.2.5 पैकेजिंग:

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वस्तुओं की आकर्षक और स्वीकार्य पैकेजिंग की सुविधा के लिए हितधारकों को अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग आवश्यकता के अनुसार पैकेजिंग सामग्री के डिजाइन, मुद्रण, निर्माण के लिए जैसा कि शक्ति प्राप्त समिति द्वारा तय किया जाय, प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख राज्य/ केंद्रीय संस्थानों के सहयोग से आयात करने वाले देश की विशिष्ट वस्तु आवश्यकताओं के लिए पैकेजिंग समाधानों के अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देगी और हितधारकों को उसे उपलब्ध करायेगी।

6.2.6 ट्रेसेबिलिटी

निर्यात योग्य कृषि उपज की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों के माध्यम से राज्य में निर्यात योग्य उत्पादन की एक ट्रेसेबिलिटी प्रणाली स्थापित और प्रोत्साहित की जाएगी। राज्य स्तर की निर्यात निगरानी समिति ट्रेसेबिलिटी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए अधिकृत होगी।

6.3 निर्यात सुविधा केंद्रों को स्थापित करना

राज्य स्तरीय कृषि निर्यात सुविधा केंद्र/ कृषि निर्यात प्रोत्साहन इकाई कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी, जहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त की जाएँगी। यह विभिन्न योजनाओं और उत्पादों पर जानकारी और सहायता प्राप्त करने के लिए हितधारकों हेतु केंद्रीय संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगी।

राज्य स्तर पर सभी सम्बंधित विभाग (कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, डेयरी एवं दुग्ध विकास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मत्स्य, मंडी परिषद आदि) नोडल एजेंसी के समन्वयन से निर्यात प्रोत्साहन इकाई स्थापित करेंगे। प्रत्येक सम्बंधित विभाग में स्थापित निर्यात प्रोत्साहन इकाई के द्वारा समन्वय करते हुए विभाग में निर्यात विकास प्रोत्साहन कार्य की निगरानी की जाएगी। प्रत्येक सम्बंधित विभाग निर्यात प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण निर्यात योग्य अधिशेष के उत्पादन में वृद्धि के लिए पर्याप्त बजट को आवंटित करने का प्रयास करेगा। सभी क्षेत्रीय विभाग राज्य से निर्यात को विविधीकृत करने और विस्तार करने के लिए वार्षिक कार्ययोजना विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

6.4 सूचना प्रसार और क्षमता निर्माण

निर्यातकों और किसानों को विभागीय सुविधा केन्द्रों और विभागों द्वारा समय-समय पर कृषि निर्यात परिदृश्य पर पर्याप्त और अपडेटेड जानकारी प्रदान की जाएगी। नोडल एजेंसी किसानों और अन्य हितधारकों तक पहुँचने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आई०ई०सी०) सामग्री को प्रसारित करने के लिए इन विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) से राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित करेगी।

नोडल एजेंसी कृषि निर्यात प्रोत्साहन और सुगमीकरण के विविध पहलुओं पर विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०), अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (यू०एस०डी०ए०, सी०आइ०टी०डी० इत्यादि) और संबंधित राज्य स्तरीय विभागों के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की योजना बनाएगी और इसे आयोजित करेगी। कार्यक्रमों को राज्य में कृषि निर्यात तथा पर्यावरण के अनुकूल स्थायी कृषि पद्धतियों के प्रोत्साहन करने पर केन्द्रित किया जायेगा।

6.5 व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, स्टार्ट अप और निवेश प्रोत्साहन

नोडल एजेंसी कृषि निर्यात के क्षेत्र में स्टार्ट-अप और निजी निवेश को बढ़ावा देने और इस संबंध में व्यवसाय को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी।

सभी सम्बंधित विभागों में अपनी विभागीय योजनाओं के माध्यम से निर्यात के प्रयोजन के लिए किसानों/एफपीओ/ कृषि निर्यातकों को प्रोत्साहन राशि देने और खेती के इनपुट जैसे गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक, जैविक उत्पादन तथा फार्म मशीनरी तथा दुकानें एवं स्थान आवंटित करने में अधिमान्यता और परिवहन आदि में मदद करने के भी प्रयास किये जायेंगे।

सभी निर्यात योग्य फल और सब्जियों के लिए अबाधित आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा दिया जायेगा तथा इन पर देय मंडी शुल्क और सेस में छूट दी जाएगी। सीधे विपणन (मंडी स्थल, उप मंडी स्थल, निजी मंडी स्थल से बाहर किसानों से सीधी थोक खरीद), अनुबंध खेती, निजी मंडी स्थल की स्थापना, विशिष्ट जिन्स मंडी की स्थापना, एकत्रीकरण केन्द्र/पकाने के कक्ष/ पैक हाउस/ गोदाम/ साइलो/ कोल्ड स्टोरेज/ या ऐसी अन्य संरचना या स्थान को मंडी उप स्थल घोषित किया जाना और किसान/ उत्पादक को विपणन स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य में इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी।

क्लस्टर के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र (कॉमन फैसिलिटी सेन्टर) की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

6.6 अच्छी कृषि पद्धतियों का कार्यान्वयन

अंतर्राष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार, सम्बंधित विभाग दीर्घकाल में बेहतर व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करेंगे। नोडल एजेंसी विभिन्न स्तरों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर जानकारी साझा करने के लिए विभागों और संस्थाओं के साथ समन्वयन में कार्य करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के बीच जानकारी प्रसारित की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आसान सन्दर्भ हेतु पर्याप्त प्रलेखन भी किया जाएगा तथा कृषि विभाग के प्रसार तंत्र का भी उपयोग किया जायेगा।

6.6.1¹ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच बढ़ाने हेतु प्रदेश के एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0/कृषक समूह/प्रगतिशील किसानों को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लागू Good Agricultural Practices अथवा कृषि निर्यात हेतु एन0पी0ओ0पी0 प्रमाणन अथवा आयातक देश में लागू जैविक व प्राकृतिक उत्पादन प्रमाणीकरण/ समकक्ष प्रमाणीकरण जिसे एपीडा/ भारत सरकार की मान्यता प्राप्त हो, का प्रमाणन शुल्क तथा उत्तर प्रदेश से निर्यात निर्यात किए जाने हेतु कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद के नमूनों के परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित प्रमाणन प्रमाण-पत्र की प्रतिपरीक्षण शुल्क रसीद प्रस्तुत करने पर निम्नवत की जायेगी:—

- (i) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लागू Good Agricultural Practices अथवा समकक्ष प्रमाणीकरण हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू. 1.50 लाख।
- (ii) जैविक/ प्राकृतिक/ समकक्ष प्रमाणीकरण हेतु हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू. 1.00 लाख।
- (iii) कृषि व कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद के नमूनों का आयातक देशों के एम0आर0एल0 (मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल) मानकों के अनुसार परीक्षण हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू. 1.00 लाख।
- (iv) उपरोक्त प्रतिपूर्ति किन मानकों या परीक्षण हेतु की जायेगी, उक्त का निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार की संस्तुति पर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग द्वारा किया किया जायेगा।

1. उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (तृतीय संशोधन),2024 अधिसूचना दिनांक 01.07.2024 द्वारा जोड़ा गया।

6.7 नवोन्मेष, शोध और विकास

विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निर्यात को बढ़ावा देने वाली एजेंसियों के बीच अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो अनुसंधान निकायों को निर्यात विशिष्ट आवश्यकताओं पर काम करने में सक्षम बनाएंगे। विशिष्ट अनुसंधान के लिए क्षेत्रों (जैसे रोग मुक्त क्षेत्र, लंबी दूरी की समुद्री प्रोटोकॉल, निर्यात किस्मों का विकास/निर्यात योग्य प्रजाति का आयात, आदि) का चिन्हांकन अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्वदेशी प्रजातियों के विकास, जैविक कृषि प्रथाओं और अच्छी गुणवत्ता के निर्यात योग्य उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा। नवोन्मेष, शोध और विकास को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगी।

6.8 प्रचार कार्यक्रम

नोडल एजेंसी देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्र्रेता-विक्रेता समागम (बी0एस0एम0) आयोजित करेगी। इसके लिये वह सभी प्लेटफार्म और साधनों अर्थात रोड शो, सोशल मीडिया, प्रदर्शनी, डिजीटल प्लेटफार्म आदि का प्रयोग करेगी।

6.9 विविध

इस नीति के कार्यान्वयन में हितधारकों के बीच व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न अवसर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के सहयोग से उत्पन्न किये जाएँगे। सभी संबंधित विभागों के लिए बेहतर समन्वयन और कार्यान्वयन तथा किसानों और निर्यातकों तक पहुँचने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा तथा सम्बंधित विभाग इस नीति के समय से कार्यान्वयन के लिए सरकारी आदेश और दिशानिर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

6.10 प्रभाव मूल्यांकन

कृषि निर्यात को बढ़ाने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने और इस संबंध में महत्वपूर्ण अंतराल (गैप) को समाप्त करने के लिए इस नीति के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक तीसरे पक्ष द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

6.11 निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 (यू0पी0-ए0ई0पी0, 2019) का लक्ष्य कृषि निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों और संभावनाओं पर सम्यक ध्यान देना है जिससे उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

6.12¹ भविष्य में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 में यथावश्यक किये जाने वाले संशोधन मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से किये जायेंगे।

1. उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (प्रथम संशोधन), 2021 अधिसूचना दिनांक 27.10.2021 द्वारा जोड़ा गया।

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 (यथासंशोधित) का संलग्नक

अनुलग्नक-1 (तृतीय संशोधन)

उत्तर प्रदेश के चिन्हांकित क्लस्टर की सूची

उत्पाद	जनपद
	ताजे फल/सब्जी, खाद्यान्न, तिलहन
आम	वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, अमरोहा, रामपुर, बुलन्दशहर, अयोध्या, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, कासगंज, अम्बेडकरनगर, अलीगढ़, खीरी, बाराबंकी, कुशीनगर, मुरादाबाद, बागपत, प्रतापगढ़, बलरामपुर, बहराइच, शाहजहाँपुर।
केला	गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, कौशाम्बी, फतेहपुर, खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, पीलीभीत, मुरादाबाद, सन्तकबीरनगर, सीतापुर।
अमरूद	कौशाम्बी, प्रयागराज, कानपुर नगर, बदायूँ, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़, एटा, हाथरस, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, रामपुर, उन्नाव, सम्भल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर।
ऑंवला	प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, आजमगढ़, बस्ती, फतेहपुर।
आलू	आगरा, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज, बदायूँ, सम्भल, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, प्रयागराज, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, हरदोई, मथुरा, बुलन्दशहर।
ताजी सब्जियाँ (हरी मिर्च, भिण्डी, लौकी, करेला, हरी मटर, परवल, टमाटर, पत्तेदार सब्जियाँ इत्यादि)	लखनऊ, अयोध्या, कानपुर नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली, कौशाम्बी, जालौन, कासगंज, बरेली, बाराबंकी, बुलन्दशहर, अलीगढ़, बलिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव, आगरा, मेरठ, मैनपुरी, गोण्डा, हापुड, एटा, अम्बेडकरनगर, बहराइच, अमरोहा, ललितपुर, झांसी, महोबा, सुल्तानपुर, हमीरपुर, अमेठी, खीरी, बस्ती, कुशीनगर, कन्नौज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर। टमाटर के उत्पाद के लिए सीतापुर को भी जोड़ा जाता है।
जिमीकन्द	बहराइच।
खीरा	सहारनपुर।
बासमती चावल	सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, सम्भल।
मक्का	गोण्डा, अलीगढ़, बुलन्दशहर।
बाजरा	अलीगढ़।
धान	सुल्तानपुर, अयोध्या, लखीमपुर-खीरी।

गेहूँ	सुल्तानपुर, अलीगढ़, अयोध्या, लखीमपुर-खीरी।
सरसों	अलीगढ़, बुलन्दशहर।
तिल	झांसी, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, जालौन।
मूँगफली	हमीरपुर।
चिकोरी	एटा, कासगंज।
लहसुन	फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी।
हल्दी	बहराइच।
मेंथा (मिन्ट)	बाराबंकी, बदायूं, मुरादाबाद, सीतापुर, रामपुर, जालौन, बरेली, सम्भल।
गन्ना	सीतापुर, अयोध्या, लखीमपुर-खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर।
औषधीय पौधे एवं उसके उत्पाद	
तुलसी	हमीरपुर।
भौगोलिक संकेत वाली फसलें	
इलाहाबादी सुर्खा अमरूद	प्रयागराज, कौशाम्बी।
मलिहाबाद दशहरी	लखनऊ।
बासमती चावल	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 23 जिलों।
कालानमक चावल	गोरखपुर, महाराजगंज, सन्तकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती।
जैविक उत्पाद	
धान, गेहूँ, सब्जियां, आलू, औषधीय पौधे, सरसों, बाजरा, आम, अमरूद, मूँग, उरद, गन्ना, हल्दी, मटर, अरहर, इत्यादि।	उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की लिस्ट के अनुसार क्लस्टर जिला/क्षेत्र
पशु/डेयरी एवं उनके उत्पाद	
ताजा दूध, स्किमड दूध, पनीर, घी, मक्खन, चीज, मिल्क पाउडर, मांस इत्यादि	एटा, मथुरा, बुलन्दशहर, वाराणसी, गोरखपुर, उन्नाव, अलीगढ़, रामपुर, लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर।
प्रसंस्कृत उत्पाद	
अचार, फ्रोजन सब्जियां, जूस, जैम, जैली, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, कन्फेक्शनरी, खाद्यान्न	गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, बुलन्दशहर।

आटा, खाद्यान्न रोस्टेड, नमकीन इत्यादि	
मछली एवं मछली उत्पाद	
मछली एवं मछली उत्पाद	गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया।

डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

Uttar Pradesh Agriculture Export Policy 2019

[As amended-2024 (Third Amendment)]



Government of Uttar Pradesh

**Department of Agriculture Marketing &
Agriculture Foreign Trade, Uttar Pradesh**

1. **Background**

Uttar Pradesh is the fourth largest State in terms of geographical spread which is 240,928 sq. km. covering 7.3 per cent of the total area of the country. The State has four ecological zones covering terai, gangetic plain, bhabhar and vindhya area. It is the most populous state of the country, having 18 divisions and 75 districts. The State has six well defined and distinct soil groups- Bhabar soils, Terai soils, Vindhya soils, Bundelkhand soils, Aravali soils and Alluvial soils. Based on rainfall, terrain and soil characteristics, UP has nine different agro climatic zones. State climate is subtropical and congenial for agriculture. The main source of livelihood of the people of Uttar Pradesh is agriculture and about 66 % of the population earns livelihood from agricultural and allied activities. Being blessed with river Ganga and its tributaries, State grows wheat, maize, paddy, potato, sugarcane, pulses, oil seeds and many others fruit and vegetable crops. Uttar Pradesh produces 21% of food grains, 10.8 % fruits and 15.4% of the vegetables produced in the country.

Agriculture contributes 25.7 % (2017-18 at current price and 22.7% at constant price) in gross State domestic product (GSDP). The State has 177.21 lakh ha. cultivated area, and against it net cultivated area is 166 lakh ha. out of which 86.7% is irrigated area. The state ranks first in food grains, sugarcane, potato , milk , meat and total horticultural production in the country.

In order to meet the goal of doubling farmer's income, it is necessary that a better demand for agricultural produce is created not only at national level but also at international level and better price realization is ensured through increase in exports. To enable the farmers to fetch better price of their produce it is necessary to give emphasis on agricultural exports. This requires a stable agriculture export policy regime in the State.

The share of Uttar Pradesh in National Agricultural exports is 7.35% (2018-19). Presently in terms of quantity exported in 2018-19 Uttar Pradesh contributed 50.34% in buffalo meat, 37.88% in wheat, 26.59% in natural honey, 4.12% in fresh mangoes, 15.84% in other fresh fruits, 13.31 % in dairy products, 4.02 % in non-basmati rice, 3.21% in basmati rice, 0.57 % in floriculture, 0.51% in processed fruits, juices & nuts, in the total agricultural exports from India.

Ministry of Commerce and Industry, Government of India formulated a National Agriculture Export Policy in the year 2018 with a vision to double the agricultural exports from present approximately US\$30+Billion to approximately US\$60+ Billion by 2022. It is envisaged that each state should formulate its own agriculture export policy to help in achievement of this objective. In view of this, Uttar Pradesh Agriculture export policy is being formulated in coherence with the national vision.

2. Vision of the policy

The vision of the Uttar Pradesh Agriculture Export Policy 2019:

"To provide new framework for promoting agriculture exports, to harness the potential of exports of agricultural produce and products, and to substantially augment the income of farmers and other stakeholders."

3. Objective of the policy

- To double the agricultural exports from Uttar Pradesh from the current value of US\$ 2524 million (Rs. 17591 crore) by 2024.
- To facilitate export of environmentally sustainable agricultural produce and also a shift from export of unprocessed agricultural produce to value added products.
- To identify and promote potential agricultural crops and products for export which are indigenous, organic and which can compete in the international markets.
- To create institutional mechanism for accessing international market and overcoming obstacles related to its management.
- To develop framework for reaching out to farmers with information related to exportable agricultural products and global opportunities.
- To focus on synergistic opportunities among key departments in the State for expanding exports in agriculture sector.
- To enhance the income of farmers by expanding the market thereby ensuring better remunerative price.

4. Strategies for implementation

- 4.1 Strengthening institutional mechanism, higher synergy among departments & effective utilization of existing institutional framework.
- 4.2 Enabling infrastructure to facilitate agricultural exports from the State and ensuring quality control and maintaining required standards at all levels.

- 4.3 Establishing State level Agriculture Exports Facility Center as a contact point for stakeholders.
- 4.4 Promoting and facilitating ways to make business easy for exporters of agricultural produce and products.
- 4.5 Encouraging private sector investments to create modern value chain which are well integrated with global market.
- 4.6 Promoting Good Agriculture Practices , developing disease and pest free areas and long distance sea protocol for the export of fresh fruits and vegetables.
- 4.7 Working on capacity building of officials and stakeholders.
- 4.8 Setting up systems to promote innovation and start-ups.
- 4.9 Organizing promotional events to connect State with international market opportunities.
- 4.10 Attracting business for more investment and emphasis on state brand promotion.
- 4.11 Increasing agriculture exports from the state through cluster approach by forming clusters of areas within the district or groups of districts in which the exportable agriculture produce is being traditionally produced or processed or which are otherwise suitable for the purpose.
- 4.12 Encouraging research and development in collaboration with national and state level institutions.

5. Implementation of the policy

- 5.1. This policy shall come into effect from the date of its notification.
- 5.2. In case of any amendments in this policy, any package of incentives, which is already committed by the state government to any Farmer/ FPO/ FPC/ Exporter/ Unit, shall not be withdrawn and the Farmer/ FPO/ FPC/ Exporter/ Unit shall continue to remain entitled to the benefit.

6. Implementation framework

6.1 Strengthening Institutional Mechanism:

6.1.1 This policy shall be implemented by all the departments of agriculture and allied sector departments e.g. Agriculture Department, Agriculture Marketing & Agriculture Foreign Trade department including Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad Uttar Pradesh, Animal Husbandry department, Food and Drug Administration, Fisheries, Dairy and Milk development Department, Horticulture & Food Processing Department, Sugar Industry & Cane Development department and such other departments as directed by the State Level Export Monitoring Committee constituted under clause 6.1.2 of this policy and these departments shall be considered as relevant departments under this policy.

6.1.2 To strengthen and monitor the implementation of the policy, a **State Level Export Monitoring Committee** shall be formed. The State level monitoring committee shall be as follows:-

Sl. No.	Committee Designation	Official Designation
1.	Chairman	Chief Secretary, Govt. of U.P.
2.	Vice Chairman	Agriculture Production Commissioner, Govt. of U.P.
A.	State Government Agriculture Export related departments/ Institutions	
1.	Member	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Finance, Govt. of U.P.
2.	Member	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Planning, Govt. of U.P.
3.	Member	Principal Secretary, Agriculture, Govt. of U.P.
4.	Member	Principal Secretary, Agriculture Marketing & Agriculture foreign Trade, Govt. of U.P.

5.	Member	Principal Secretary, Horticulture & Food Processing, Govt. of U.P.
6.	Member	Principal Secretary, Animal Husbandry, Govt. of U.P.
7.	Member	Principal Secretary, MSME, Govt. of U.P.
8.	Member	Principal Secretary, Fisheries, Govt. of U.P.
9.	Member	Principal Secretary, Sugar Industry & Cane Development. Govt. of U.P.
10.	Member	Principal Secretary, Dairy & Milk Development Govt. of U.P.
11.	Member	Export Commissioner, Export Promotion Bureau, U.P.
12.	Member	Commissioner, Food Safety & Drug Administration, Govt. of U.P.
13.	Member	Director General, Uttar Pradesh Council of Agriculture Research (UPCAR)
14.	Member	Managing Director, HoFED, Uttar Pradesh.
15.	Member	Director, Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad, Uttar Pradesh.
16.	Member	Director, U.P. State Organic Certification Agency, Lucknow.
17.	Member Secretary	Director, Directorate of Agriculture Marketing & Agriculture Foreign Trade, Uttar Pradesh.
B.	Central Government Agriculture Export related departments/Institutions	
1.	Member	DGFT or his representative
2.	Member	Chief Commissioner Customs , Govt. Of India

3.	Member	Representative member of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi
4.	Member	Representative of Indian Council of Agriculture Research (ICAR), New Delhi
5.	Member	Regional Authority of Export Inspection Council (EIC)
6.	Member	Regional Officer/ Representative of Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Faridabad, Haryana
7.	Member	Regional Officer/ Representative, Animal Quarantine & Certification Services, New Delhi.
8.	Member	Representative of Federation of Indian Export Organizations (FIEO), New Delhi
C.	Other Members	
1	Member	Two (02) Nominated Progressive Farmers and / or FPOs by the State Government
2	Member	Two (02) Nominated Eminent Exporters by the State Government
3	Member	Two (02) Nominated Representative of Industry Chambers by the State Government

Vice chairman shall act as Chairman in the absence of Chairman and the tenure of nominated members shall be 2 years.

The State Level Export Monitoring Committee shall act as the **Empowered Committee** for the purpose of this policy. The State Level Export Monitoring Committee shall periodically review the status of agriculture export at state level and shall facilitate export promotion measures by coordinating between different State and Central Government Departments and other stakeholders. It shall also finalise formation of clusters, expand and modify the list of clusters. It shall also provide functional guidance to divisional and district level committees. The chairman of the committee shall be authorize to nominate the member from any department, institutions, etc. as per the requirement to fulfil the objective of this policy.

6.1.3 The Department of Agriculture Marketing and Agriculture Foreign Trade, Uttar Pradesh shall act as nodal department at State level, Directorate of Agriculture Marketing and Agriculture Foreign Trade, Uttar Pradesh shall act as nodal agency. In order to make adequate discharge of its obligations and activities of agricultural export promotion, the nodal agency shall be allocated the budget every year by the government according to the minimum requirement. Nodal agency shall leverage the support of Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad, U.P. and Mandi Samiti for the implementation of this policy. The funds provided by the state government shall be utilised to fill the critical gaps in infrastructure and also to incentivise exports and related issues.

The nodal agency shall liaise with different departments of the State government to address the issues raised by exporters/ stakeholders and it shall organize events and meets, disseminate information, conduct capacity building programmes etc. The nodal agency shall work with concerned agencies to develop operational and commodity specific standard operating procedure (SOPs) for different departments and institutions.

To meet out the objectives of this policy the nodal agency shall strengthen institutional structure by roping in experts in the field of agriculture exports and by using information technology and by providing operational and IT support in line with this policy for the division and district level cells.

6.1.4 A **Divisional Level Agricultural Export Monitoring Committee** shall be formed and monitored at the level of the Divisional Commissioner, which shall be as follows:-

Sl. No	Committee Designation	Official Designation
1.	Chairman	Divisional Commissioner
2.	Member	Representative of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi
3.	Member	Representative of Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Faridabad, Haryana
4.	Member	Representative of state/ Central Agriculture University nominated by the chairman.
5.	Member	Joint Director Agriculture/ Deputy Director Agriculture
6.	Member	Joint Commissioner, Industries MSME & Export Promotion

		Department
7.	Member	Deputy Director, Horticulture
8.	Member	Principal, State Food Science Training Centre/Food Processing Officer, Deptt. of Horticulture & Food Processing
9.	Member	Additional Director, Animal Husbandry
10.	Member	Assistant Commissioner (Food), Deptt. of Food and Drug Administration, U.P.
11.	Member	Deputy Director (Administration/ Marketing), Mandi Parishad
12.	Member	Deputy Director Fisheries
13.	Member	General Manager, Sugar Mill, Nominated by the Chairman
14.	Member	Representative of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
15.	Member	Representative of Small Farmer's Agri Business Consortium (SFAC)
16.	Member	Representative of NABL accredited Laboratory nominated by the chairman.
17.	Member	Representative of reputed Non-Government Organization (NGO), Nominated by the Chairman
18.	Member	Two (02) Nominated Progressive Farmers and / or FPOs by the Chairman
19.	Member	Two (02) Nominated Eminent Exporters of the Division by the Chairman
20.	Member Secretary	Assistant Agriculture Marketing Officer/ Assistant Marketing Officer, Deptt. of Agri. Marketing & Agri. Foreign Trade, U.P.

The tenure of nominated members shall be 2 years.

The Divisional Level Exports Monitoring Committee shall review the status of agricultural exports minimum twice a year at the division level and facilitate exports promotion measures by coordinating between different departments. This committee shall review the development and working of clusters formed for the production of exportable agricultural produce and products.

6.1.5 At the District level, a **Cluster Facilitation Cell** shall be set up under the chairmanship of District Collector, as follows:-

Sl. No	Committee Designation	Official Designation
1.	Chairman	District Collector
2.	Member	Chief Development Officer
3.	Member	Deputy Director Agriculture/ District Agriculture Officer
4.	Member	District Horticulture Officer
5.	Member	Chief Veterinary Officer, Animal husbandry
6.	Member	Deputy Commissioner, Industries & Industry Promotion Center
7.	Member	Designated Officer, Food and Drug Administration, U.P.
8.	Member	Assistant Director Fisheries
9.	Member	General Manager, Sugar Mill , Nominated by the Chairman
10.	Member	Representative of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)/ Representative of Small Farmer's Agri Business Consortium (SFAC)
11.	Member	Representative of reputed Non Government Organization (NGO), Nominated by the chairman.
12.	Member	Representative of NABL accredited Laboratory, Nominated by the chairman.
13.	Member	Two (02) Nominated Progressive Farmers and / or FPOs by the Chairman
14.	Member	One (01) Nominated Exporter of the district by the Chairman
15.	Member Secretary	District Agriculture Officer /Senior Agriculture Marketing Inspector, Department of Agriculture Marketing

The tenure of nominated members shall be 2 years.

Cluster Facilitation Cell shall endeavour that:-

- a) Each sectoral department defines the area and number of farmers/ FPOs/FPCs in the cluster as per suitability and goals of export promotion.
- b) Monitor the cluster development work.
- c) Promote to increase area under cluster cultivation of the exportable items and improve quality of produce.
- d) Promote the registration of FPOs/ FPCs under various agencies like SFAC, NABARD etc. in each cluster.
- e) Facilitate the cluster level coordination among key departments (Agriculture, Animal Husbandry, Horticulture & Food Processing, Dairy and Milk Development, Food and Drug Administration, Fisheries, Agriculture Marketing, Mandi Samiti etc.) and stakeholders (Exporters, Potential Exporters, Farmer's Producers Companies (FPCs)/ Farmer Producer Organisation (FPOs), Farmers and Producer's Cooperatives, Farmers etc.) for various agricultural crops and products.
- f) To facilitate and promote the registration of farmers under APEDA online traceability system and connect exporters with registered FPOs/FPCs/Farmers for direct procurement of produce.
- g) Promote and facilitate primary and secondary processing units and their linkage with exporters.
- h) In the formation of clusters the help of Organizations/ Institutions/ Non-Governmental Organizations (N.G.Os) and other stakeholders shall be taken.
- i) To recommend the cluster formation of new cluster of identified agricultural produce and products as per the suitability of the area to State Level Export Monitoring Committee to decide and finalising the formation of new cluster.

Note-

- 1- "Farmer Producer Company (FPC)" means a company of farmer producer members as defined in Section IXA of the Companies Act,1956, including any amendments thereto, re-enactment thereof and incorporated with the Registrar of Companies;

2- "Farmer Producer Organisation" (FPO) means an association of farmers, by whatever name/ form it is called/ exists, registered under any law for the time being in force, which is to mobilize farmers and build their capacity to collectively leverage their production and marketing strength;

6.1.6 Endeavours shall be made to leverage various state level related policies including Uttar Pradesh Agriculture policy 2013, Industrial Investment and Employment Promotion Policy of UP 2017, Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy 2018 and The Uttar Pradesh Food Processing Industry Policy 2017 to enhance the export of agricultural produce and products.

6.2 Enabling infrastructure—Development of new and upgrading existing infrastructure

Setting up adequate infrastructure at the State, division and district levels is a prerequisite for supporting agricultural exports through collection centers, pack houses , warehouses, ripening chambers , logistics, Inland Container Depots (ICDs), Center for Cargo at airport with all equipped instruments as per the international requirement to connect the foreign markets and quality assurance. GoUP intends to help in setting up NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) accredited pesticide residue, heavy metal and biological contamination testing laboratories at the state and divisional levels as required.

Pack houses/ Collection Centers/ Ripening Chambers/ Reefer vans- Non reefer vans/ Warehouses/ Cold Storages facilities shall be created in public, private and public-private-partnership (PPP) mode in order to preserve the perishable items at various levels including pack houses/ ICDs & Center for Cargo at Airport. For transport of perishables facilities such as reefer vans/ trucks shall be suitably promoted and the incentive given under the Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy 2018 and The Uttar Pradesh Food Processing Industry Policy 2017 shall be leveraged for this policy.

A comprehensive need gap analysis shall be done by the concerned departments to identify infrastructural demands, which shall be needed for the achievement of the targets of exports in their respective sectors. Sectoral targets shall be decided and strategies to achieve them shall be framed by the respective departments. Based on analysis, efficient value chain shall be developed specially for perishable products in order to meet the stringent quality and sanitary and phyto-sanitary norms of the importing countries.

6.2.1¹The Uttar Pradesh Agriculture Export Policy focuses on cluster approach for produce and products and the identification of cluster shall be based on production, contribution to exports, exporter's operations, scalability of operations, size of export markets and potential for increase in exports. Efforts shall be made to facilitate the development of infrastructure in the identified clusters to increase the exports.

Under this policy, minimum 50 hectares of agricultural land should be within the development block for export cluster, which will be approved by the Cluster Facilitation Cell, set up under the chairmanship of the District Collector.

The policy specially aims at the realisation of agriculture export potential of crops and products in districts mentioned in Annexure-1 (as amended). The list of clusters will be expanded and amended on the recommendation of District Level Cluster Facilitation Cell by a State Level Sanction Committee constituted under the chairmanship of Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Agriculture Marketing and Agriculture Foreign Trade, Government of Uttar Pradesh, whose member Secretary Director, Agriculture. Marketing and Agriculture, Foreign Trade, Uttar Pradesh and other members will be officer nominated by the government.

6.2.2 Export based incentive provision for new processing units to be set up near clusters².

The nodal agency will provide export incentives to the new processing unit / pack house / cold storage / ripening chamber etc. set up for processing agricultural produce produced in clusters. This incentive will be given 10 percent of the turnover of exports or Rs. 25 lakhs, whichever is less, from the year of commencement of export to 05 years. This will be payable only to new units, which will be set up near the clusters. For this, the said unit will have to export minimum 40 percent of the purchased agricultural produce in original or processed form. This incentive will be given after proving the export obligation. In this regard, the payment will be made by the nodal agency after getting approval of the incentive amount from a State Level Sanction Committee constituted under the chairmanship of Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Agriculture Marketing and Agriculture Foreign Trade, Government of Uttar Pradesh, whose member Secretary Director, Agriculture Marketing and Agriculture Foreign Trade, UP and other members will be officer nominated by the government.

1. Subs. By Uttar Pradesh Agriculture Export policy (First Amendment), 2021 dated 27.10.2021
2. Subs. By Uttar Pradesh Agriculture Export policy (First Amendment), 2021 dated 27.10.2021

6.2.3 Incentives for private sector

Following measures shall be taken to encourage exporters to promote agriculture exports:

6.2.3.1 Additional incentives will be given for facilitating and setting up export-oriented clusters and to ensure the establishment of necessary processing units in such clusters and to promote exports from these clusters:

Category	Minimum eligibility requirements	Incentives
Farmer cluster	Cluster Area 50 hectares to 100 hectares	10 lakhs on completion of cluster construction, registration, and fulfilment of export obligation.
	More than 100 hectares and up to 150 hectares	16 lakhs on completion of cluster construction, registration, and fulfilment of export obligation.
	More than 150 hectares and up to 200 hectares	20 lakhs on completion of cluster construction, registration, and fulfilment of export obligation.
	More than 200 hectares and up to 250 hectares	28 lakhs on completion of cluster construction, registration, and fulfilment of export obligation.
	More than 250 hectares and up to 300 hectares	34 lakhs on completion of cluster construction, registration, and fulfilment of export

		obligation.
	More than 300 hectares and up to 350 hectares	40 lakhs on completion of cluster construction, registration, and fulfilment of export obligation.
	As per above, if the area of the cluster increases, an increase in the amount of Rs 6 lakh will be allowed.	
	Of this, 40 percent in the first year and 15 percent thereafter on export for the next 04 years.	

In order to obtain additional incentives, on account of the local productivity of agricultural commodities produced by the cluster (according to the production data of the Agriculture Department / Department of Horticulture / Concerned Department), export obligation will be considered complete if a minimum of 30 percent of the total production is exported and efforts will be made to increase export volume up to 50 percent in the next 04 years.

Physical inspection and verification of the cluster will be done by the district level Cluster Facilitation Cell. Cluster formed by FPO / FPC or Farmer's Aggregate registered under the Company Act, 1956 or Uttar Pradesh Cooperative Societies Act 1965 or Societies Registration Act 1860 and the promotional incentives shall be provided to such formed institutions for promoting good agricultural practices in the such cluster.

6.2.3.2 Transport subsidy for export of agricultural produce and processed products¹:

Uttar Pradesh is located very far from the sea coast, due to which exporters face difficulties in competition from sea coast states. Exporting by air route is very costly. In view of the above, exporters shall be given transport subsidy (air route/rail route/road route/water route).

1. Subs. By Uttar Pradesh Agriculture Export policy (First Amendment), 2021 dated 27.10.2021 and again subs by Uttar Pradesh Agriculture Export policy (Third Amendment), 2024 dated 01.07.2024

The payment of incentive amount for transport grant on export of agricultural produce and processed products shall be made by the nodal agency after getting approval of the incentive amount by a State Level Sanction Committee constituted under the chairmanship of Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Agricultural Marketing and Agricultural Foreign Trade, Government of Uttar Pradesh, whose member secretary will be Director, Agricultural Marketing and Agricultural Foreign Trade, Uttar Pradesh and other members will be officers nominated by the government.

The maximum limit of transport subsidy (by air/rail/road/water) on export of agricultural produce and processed products shall be 25% of the actual freight paid and a maximum of Rs. 20 lakh (Rupees twenty lakhs) transport subsidy per year per exporter/firm shall be payable.

The said transport subsidy shall not be payable on export of meat and sugar.

This transport subsidy shall be given after obtaining a certificate from the exporter to the effect that he has not taken any such subsidy from any other source/department.

6.2.3.3 Exemption from mandi fee and development cess on specified/ Non-specified agricultural produce used in agricultural exports (product / production) will be given as follows¹:

- 1: 100% exemption of market fee / user charges and development cess will be given on direct purchase from farmers, Farmer Producer Organization (FPO / FPC) or Farmer Producer Group formed under the Societies Registration Act.
- 2: In case of purchase through Trader/Broker Mandi fee & user charge shall be exempted but development cess shall be charged.
- 3: On export of rice made after processing Basmati paddy brought and processed in Uttar Pradesh after payment of Mandi fee and other prescribed duty from other states , shall be exempted hundred percent Mandi fee and Development Cess on used Basmati paddy equivalent to the total exported Basmati rice.

Subs. By Uttar Pradesh Agriculture Export policy (First Amendment), 2021 dated 27.10.2021 and again subs by Uttar Pradesh Agriculture Export policy (Second Amendment), 2022 dated 10.11.2022

After proving the export obligation as per the provisions available in the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, the export will be exempted from Mandi Fee / User Charges and Development Cess etc., which is generally given for 5 years. The procedure for proving export obligation will be decided by the government from time to time.

The above amended provisions will supersede the current prevailing "U.P. Rice Export Promotion Scheme (2017-22)" and various government orders issued in this regard as of the date of issue of notification

6.2.3.4 Incentive for conducting Degree/Diploma/Certificate Courses in Agriculture Exports / Post Harvest Management & Technology:

To promote and generate employment and to ensure the availability of skilled manpower in the sphere of exports and post-harvest management in the state, additional financial support up to a maximum limit of 50 percent of annual course fees or maximum Rs. 0.50 Lakh per student shall be provided towards the expenditure incurred on fees in the Universities/Government Institutions located in Uttar Pradesh for conducting degree/diploma/certificate courses in Agriculture exports and post-harvest management and technology. For courses of duration exceeding 15 months, Rs. one Lakh towards fees shall be given. A lump sum grant of Rs. 50 Lakhs shall be given to a government institution of higher studies for starting such a programme.

6.2.4 Market Intelligence and Research:

Currently the market in Uttar Pradesh is largely supply driven whereas the global trends are changing day by day. This policy intends a shift towards demand driven agriculture production to increase the profitability at all the stages of value chain. The nodal agency will seek cooperation from the Government of India to facilitate, develop export-oriented market intelligence system in the state and ensure the dissemination among stakeholders through the use of information technology. The necessary services of experts may be accessed in this regard.

6.2.5 Packaging:

To facilitate attractive and acceptable packaging of commodities as per international standards, the stakeholders shall be incentivised for the design, printing, manufacturing of packaging material to meet out the expenses as per the international packaging requirement as decided by empowered committee. The GoUP shall also promote the research and development of packaging

solutions for specific commodity requirements of the importing country in collaboration with the premier State / Central institutions and make item available to stakeholders.

6.2.6 Traceability

To promote international acceptability of exportable agricultural produce a traceability system of exportable produce shall be established and promoted in the state through digital tools. The State Level Export Monitoring Committee shall be authorised to incentivise the traceability.

6.3 Establishing Export Facilitation Centers

A State level Agricultural Export Facilitation Center/ Agriculture Export Promotion Cell shall be set up at the Directorate of Agriculture Marketing and Agriculture Foreign Trade, Uttar Pradesh, which shall avail the services of the experts as and when required. It shall act as central contact point for stakeholders to get information and assistance on various schemes and products.

At the State level, all sectoral departments (Agriculture, Animal Husbandry, Horticulture and Food processing, Sugar Industry & Cane Development, Dairy and Milk Development, Food and drug Administration, Fisheries, Mandi Parishad etc.) shall set up export promotion cell in coordination with the nodal agency. In coordination with the export promotion cell established in each sectoral department shall monitor export development promotion work in the respective sectoral department. Each sectoral department shall endeavour to allocate adequate budget for enhancement in the quality production of exportable surplus and export promotion. All Sectoral departments shall be responsible for developing and implementing annual action plan in order to diversify and expand exports from the state and suitable budget shall be allocated by the concerned departments for this purpose.

6.4 Information Dissemination and Capacity Building

The exporters, farmers shall be provided with adequate and updated information on agriculture exports scenario on time-to-time basis by the sectoral facility center and departments. Nodal agency shall coordinate at state level with these departments and Non-Governmental Organizations (NGOs) to disseminate information, education and communication (IEC) material to reach out to farmers and other stakeholders.

Nodal agency shall plan and conduct capacity building programmes in collaboration with universities, institutions, Non-Governmental Organizations

(NGOs), International organization (USDA, CITD, etc.) and concerned state departments on various aspects of agricultural export promotion and facilitation. The programmes shall be focused on agricultural exports promotion and also on promoting environment friendly sustainable agricultural practices in the State.

6.5 Encouraging Business, Start-ups and Investment Promotion

Nodal agency shall make efforts to promote start-ups and private investment in the area of agriculture exports and to encourage business in this respect.

All sectoral departments shall efforts to incentivize and ensure preferential allotment of farm inputs like quality seed, fertilizers, pesticides, bio pesticide, organic production input, farm machinery, allotment of shops/ space and transportation assistance etc. to the farmers/ agriculture exporters/ FPOs meant for exports through their departmental schemes.

For all exportable fruits and vegetables, seamless supply chain shall be facilitated and exemption in Mandi fees and Development Cess chargeable shall be given. The provision of Direct Marketing (Wholesale direct purchase from farmers outside the market yard, sub-market yard, private market yard), Contract Farming, establishment of Private Market Yards, establishment of Special Commodity Markets, declaring Collection Center/Ripening Chambers/ Pack houses/ warehouses/Silo/Cold Storages/ or other such structure or places as Market Sub-Yard and marketing freedom to agriculturist/producer shall be promoted and facilitated in the state.

6.6 Implementation of Good Agricultural Practices

As per international norms and guidelines, the sectoral departments shall promote good agricultural practices to ensure better business in the long run. Nodal agency shall work in coordination with departments and institutions to share information on the practices to be adopted at various levels. Information shall be disseminated among stakeholders to ensure product acceptability at international market. For this propose adequate documentation shall also be done for handy reference and extension facilities of the Department of Agriculture will also be utilised.

6.6.1¹ To increase access to international markets, certification fee for Good Agricultural Practices or NPOP certification applicable in various international markets for agricultural exports or organic and natural production certification/equivalent certification applicable in the importing country which is recognized by APEDA/Government of India, and reimbursement of testing expenses of samples of agricultural and processed products to be exported from Uttar Pradesh to FPO/FPC/farmer group of the state will be made as follows on submission of copy of the respective certification certificate/testing fee receipt:-

(i) 50 percent of the total expenditure for Good Agricultural Practices or equivalent certification applicable in various international markets or maximum Rs. 1.50 lakh in a financial year.

(ii) 50% of the total expenditure for organic/natural/equivalent certification or a maximum of Rs. 1.00 lakh in a financial year.

(iii) 50% of the total expenditure for testing the samples of agricultural and agro-processed products as per MRL (Maximum Residue Level) standards of the importing countries or a maximum of Rs. 1.00 lakh in a financial year.

(iv) The standards or tests for which the above reimbursement shall be decided by the Department of Agricultural Marketing and Agricultural Foreign Trade from time to time as per the requirement on the recommendation of the Director, Agricultural Marketing and Agricultural Foreign Trade.

6.7 Innovation, Research and Development

There is a need to ensure greater interaction between the various agricultural universities, research institutions and export promoting agencies which shall enable the research bodies to work on export specific requirements. Areas for specific research (such as pest and disease-free area, long distance sea protocol, development of exporting varieties/ import the exportable variety, etc.) shall be identified by nodal agency for research institutions in order to ensure identification and development of exportable indigenous varieties, organic agricultural practices and good quality exportable products.

6.8 Promotional Events

The nodal agency shall organize international buyer-seller meets (BSM) within the country and abroad. It shall use all platform and modes i.e. road shows, social media, exhibitions, digital platform etc.

1. *Ins.* by Uttar Pradesh Agriculture Export policy (Third Amendment), 2024 dated 01.07.2024

6.9 Miscellaneous

In line of this policy, various opportunities for promoting business among stakeholders shall be created in consultation with various departments and agencies. Information and Technology shall be used for reaching out to farmers and exporters for its better coordination and implementation for all concerned departments shall ensure issuance of Government orders and guidelines for timely implementation of this policy.

6.10 Impact Assessment

A third-party assessment shall be conducted periodically to assess the impact of this policy in achieving the desired objective of enhancing agricultural export and bridging the critical gaps in this regard.

6.11 Conclusion

The UP Agricultural Export Policy 2019 (UP-AEP,2019) aims at addressing a variety of issues and possibilities in the area of agriculture export promotion which would help in strengthening the economics of agriculture in the state.

6.12¹ In future, necessary amendments to be made in Uttar Pradesh Agriculture Export Policy-2019 will be done with the approval of Hon'ble Chief Minister.

1. *Ins.* By Uttar Pradesh Agriculture Export policy (First Amendment), 2021 dated 27.10.2021

Annexure -1 (Third amendment)

List of Identified Clusters of Uttar Pradesh

Product	District
Fresh Fruits /Vegetable, Food grains, Oilseeds	
Mango	Varanasi, Saharanpur, Meerut, Lucknow, Sitapur, Unnao, Amroha, Rampur, Bulandshahar, Ayodhya, Bijnor, Muzaffarnagar, Hardoi, Kasganj, Ambedkar Nagar, Aligarh, Kheri, Barabanki, Kushinagar, Moradabad, Baghpat, Pratapgarh, Balrampur, Bahraich, Shahjahanpur.
Banana	Gorakhpur, Kushinagar, Maharajganj, Bahraich, Shravasti, Siddharthnagar, Barabanki, Kaushambi, Fatehpur, Kheri, Lucknow, Mainpuri, Pilibhit, Moradabad, Sant Kabir Nagar, Sitapur.
Guava	Kaushambi, Prayagraj, Kanpur Nagar, Budaun, Farrukhabad, Kasganj, Aligarh, Etah, Hathras, Moradabad, Bulandsahar, Rampur, Unnao, Sambhal, Saharanpur, Muzaffarnagar, Shahjahanpur.
Litchi	Saharanpur
Amla	Pratapgarh, Kaushambi, Ayodhya, Prayagraj, Mathura, Azamgarh, Basti, Fatehpur.
Potato	Agra, Farrukhabad, Kanpur Nagar, Kannauj, Badaun, Sambhal, Firozabad, Hathras, Aligarh, Etawah, Mainpuri, Prayagraj, Shahjahanpur, Barabanki, Hardoi, Mathura, Bulandshahar.
Fresh Vegetables (Green Chilli, Bhindi, Gourd, Bitter gourd, Green Peas, Parwal, Tomato, Leafy Vegetables etc.)	Lucknow Ayodhya, Kanpur Nagar, Varanasi, Jaunpur, Ghazipur, Mirzapur, Sonbhadra, Chandauli, Kaushambi, Jalaun, Kasganj, Bareilly, Barabanki, Bulandshahar, Aligarh, Ballia, Fatehpur, Firozabad, Moradabad, Unnao, Agra, Meerut, Mainpuri, Gonda, Hapur, Etah, Ambedkarnagar, Bahraich, Amroha, Lalitpur, Jhansi, Mahoba, Sultanpur, Hamirpur, Amethi, Kheri, Basti, Kushiagar, Kannauj, Saharanpur, Muzaffarnagar, Shahjahanpur. Tomato is added for Sitapur District.
Elephant Yam(Jimikand)	Baharaich
Cucumber	Saharanpur
Basmati Rice	Saharanpur, Meerut, Aligarh, Agra, Bareilly, Moradabad, Sambhal.
Maize	Gonda, Aligarh, Bulandshahar
Bajra	Aligarh
Paddy	Sultanpur, Ayodhya, Lakhimpur kheri
Wheat	Sultanpur, Aligarh, Ayodhya, Lakhimpur kheri.
Mustard	Aligarh, Bulandshahr.
Til (Sesame)	Jhansi, Hamirpur Mahoba, Banda Jalaun.
Groundnut	Hamirpur
Chicory	Etah, Kasganj.
Garlic	Firozabad, Etah, Mainpuri.
Turmeric	Bahraich

Mentha (Mint)	Barabanki, Badaun, Moradabad, Sitapur, Rampur, Jalaun, Bareilly, Sambhal .
Sugarcane	Sitapur, Ayodhya, Lakhimpur kheri, Saharanpur, Muzaffarnagar, Shahjahanpur.
Medicinal plants and their products	
Tulsi (Basil)	Hamirpur
Geographical Indication Crops	
Allahabadi Surkh Guava	Prayagraj, Kaushambi
Malihabadi Dusseheri	Lucknow
Basmati rice	23 districts of Western Uttar Pradesh
Kala Namak Rice	Gorakhpur, Maharajganj, Santakbir Nagar, Siddharthnagar, Bahraich, Gonda, Deoria, Basti, Kushinagar, Balrampur, Shravasti.
Organic Products	
Paddy, Wheat, Vegetables, Potato, Medicinal Plant, Mustard, Bajra, Mango, Guava, Moong, Urad, Sugarcane, Turmeric, Pea, Pigeon Pea (Arhar), Etc	Uttar Pradesh State Organic Certification List wise cluster District/region
Animals/Dairy and their products	
Fresh Milk, Skimmed Milk, Paneer, Ghee, Butter, Cheese, Milk powder, Meat, Etc.	Etah, Mathura, Bulandshahar, Varanasi, Gorakhpur Unnao, Aligarh, Rampur, Lucknow, Meerut, Kanpur Nagar.
Processed products	
Pickles, Frozen Vegetables, Juices, Jam, jelly, Ready to Eat, Ready to Cook, Confectionery, Foodgrains, Flour, Foodgrains Roasted, Namkeen etc.	Ghaziabad, Gautambudh Nagar, Meerut, Agra, Mathura, Lucknow, Varanasi, Jhansi, Kanpur, Prayagraj, Bulandshahar.
Fish and Fish Products	
Fish and Fish Products	Gorakhpur, Maharajganj, Kushinagar, Deoria.

Dr. Devesh Chaturvedi
Additional Chief Secretary